न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 56/2022

1. छोटू पुत्र लालाराम जाति रेगर निवासी रामनेर ढ़ाणी तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री छीतरमल टेपण — अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय पेरोकार

–: आदेश:–

दिनांक :– 04.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 324/2015/75 (2015/00229) में पारित निर्णय की पालना में रिमाण्ड किए जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए जिसमें अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री छीतरमल टेपण उपस्थित आये। इसी प्रकार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर की ओर से श्री ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय पेरोकार उपस्थित हुए। तत्पश्चात् प्रकरण बहस हेतु पूर्ण होने पर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री छीतरमल टेपण द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेज साक्ष्य को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रामनेर ढाणी तहसील अजमेर अवस्थित आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 1815 मिन रकबा 27–2–00 बीघा किस्म पहाड में से लगभग साढे तीन बीघा भूमि पर अपीलांट पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1815 मिन रकबा 27–02–00 बीघा तथा खसरा नंबर 1815 रकबा 38–6–0 बीघा किस्म पहाड़ चारागाह वर्किंग जमाबंदी में दर्ज थी जिसके आधार पर खसरा नम्बर 2072/3298 रकबा 6.20 हैं0, 2075 रकबा 0.01 है0, 2088 रकबा 0.25 हैं0, 2072 रकबा 3.24 है0, 2084 रकबा 0.54 हैं0, 2082 रकबा 0.01 है0, 2073 रकबा 0.01 है0, एवं 2072/3482 रकबा 0.33 है0 कायम किये गये। भूमि खसरा नम्बर 1815 रकबा 27–02–0 बीघा किस्म पहाड़ में से आधार खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.54 है0 कायम किये गये जिस पर अपीलांट कदीमी समय से काबिज काश्त चला आ रहा हैं। आधार खसरा नम्बर 2084 में अन्य वर्किंग खसरा नम्बरान् का रकबा शामिल करते हुए आधार खसरा नम्बर 2084 का कुल रकबा 1.26 है0 सृजित किया गया जिसमें 0.54 हैक्टेयर भूमि अपीलांट की कब्जे काश्त की हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2040 लगायत 2043 में खसरा नम्बर 1815 मिन रकबा 27–02–00 किस्म पहाड़ दर्ज हैं लेकिन सक्षम न्यायालय के आदेश बिना उक्त आराजीयात में से 0.54 है0 के सृजित आधारा खसरा नम्बर 2084 किस्म जमाबन्दी सम्वत् 2064 लगायत 2084 में गैर कानूनी रूप से किस्म पहाड़ के स्थान

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

पर अन्य आराजीयात का रकबा मिलाकर कुल रकबा 1.26 है0 किस्म शमशान दर्ज कर दिया तत्पश्चात् जरिये आदेश जिला कलक्टर अजमेर दिनांक 27.09.2013 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 12.12.2013 को तस्दीक किया जाकर विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन शमशान के स्थान पर सिवायचक दर्ज कर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में अमल दरामद कर दिया गया। उक्त 1.26 है0 भूमि में अपीलांट की कदीमी कब्जे काश्त की आराजी रकबा 0.54 हैक्टेयर शामिल हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें आदेश दिनांक 07.02.2019 पारित किया कि अपील/अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा विद्वान जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27.09.2013 ग्राम रामनेर ढ़ाणी के वर्किंग खसरा नम्बर 1815 मिन आधारा नम्बर 2084 रकबा 0.54 है0 की हद तक निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

जिसके जवाब में राजकीय पेरोकार द्वारा निवेदन किया कि अतिरिक्त कलक्टर (शहर) एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्रांक 6295 दिनांक 07.10.2024 द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत की गई है कि अपीलांट/प्रार्थी श्री छोटू ने ग्राम रामनेर ढाणी तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नम्बर 1815 मिन रकबा 27–2–00 बीघा में से बने खसरा नम्बर 2084 रकबा 1.26है0 किस्म गै0मु0 श्मशान को जिला कलक्टर अजमेर के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.09.2013 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में अपील दायर की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2019 में यह निर्णित किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (मु) अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.08.2015 तक प्रभावी है, इस प्रकार न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते तथा स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए उक्त खसरा नम्बर, भूमि का हस्तान्तरण एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है जो कि लीज पेन्डेन्सी के सिद्धान्त के विपरीत है। प्रार्थी के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर में खातेदारी उद्घोषणा हेतु वाद संख्या 3/2004 अन्तर्गत धारा 88, 188 मय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र संख्या 1/2004 भी प्रस्तुत किया। निर्णय दिनांक 04.03.2004 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मु) अजमेर ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 1815मि मे से प्रार्थी के कब्जे की भूमि रकबा 02–04–00 बीघा पर अपीलांट/प्रार्थी को बेदखल नहीं करने हेतु तहसीलदार अजमेर को पाबन्द किया। उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। तहसीलदार अजमेर द्वारा नामा. सं 179 दिनांक 12.12.2013 से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम अंकित कर दी। वर्किंग जमाबन्दी में उक्त भूमि की किस्म पहाड़ अंकित है जबकि मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि समतल व उपजाऊ किस्म की है जिस पर अपीलांट/प्रार्थी का

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना सक्षम आदेश के उक्त भूमि की किस्म श्मशान अंकित कर दी तथा जिला कलक्टर अजमेर ने उक्त भूमि सिवाचयक मानते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तान्तरित कर दी। प्रश्नगत भूमि, स्पष्टतया राजकीय परिसम्पत्ति है तथा वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में तथा उसके पश्चातवर्ती समस्त जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक ही दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पक्ष में उक्त प्रश्नगत भूमि के दर्ज होने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा प्रारम्भ से ही स्वच्छ सिवायचक बिलानाम भूमि होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से जारी आदेश की पालना में ही अजमेर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गयी है। अतः अपील/अपीलांट खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य में यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट अपने हक व अधिकारों की प्राप्ति हेतु न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर अजमेर में खातेदारी उद्घोषणा हेतु वाद संख्या 03/2004 अन्तर्गत धारा 88, 188 प्रस्तुत कर रखा है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत् अपीलांट के हक व अधिकार राजस्व वाद के माध्यम से प्रदान किये जाने हैं। जिसमें न्यायालय द्वारा डिक्री प्रदान की जानी है। ऐसी स्थिति में हाजा न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील/अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर